श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2016 को आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा बैठक पंजी।

1. CAG की लंबित कंडिका (07–14) का अनुपालन :–

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि लंबित कंडिका के संबंध में प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें तथा लंवित कंडिकाओं का सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करें ताकि यह पता चल सके कि किस–किस शाखा/विभाग में लंवित है। तदोपरान्त शाखावार/विभागवार इसकी समीक्षा की जा सके।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, खगड़िया)

2. पुनर्वास के लंबित मामले :–

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि पुनर्वास के लंवित मामले की सूची तैयार करें तथा पुनर्वास के लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करना सुनिश्चित करें। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भी पुनर्वास के मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि विधान सभा/विधान परिषद् से संबंधित मामलें का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को यह भी निदेशित किया गया कि आपदा से संबंधित प्राप्त आवंटनों की निकासी सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी)

3. लंबित डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई बैठकों में दिये गये निदेश एवं दो माह से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी भी बहुत से डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित है। सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेंजे एवं सुनिश्चित करें कि एक भी DC विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित नहीं रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना के कार्यालय में लंबित डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा करें एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें। साथ ही लंबित डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

राजस्व शाखा से संबंधित लंबित डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश अपर समाहर्ता, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– अपर समाहर्ता/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला के सभी कार्यालय प्रधान)

4. सर्वे व **Land Records** के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति **MIS** पर **Entry** व **Website** पर प्रकाशन **(Reg-2)** :–

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि 05 CD Folder प्राप्त हुआ है, जो अपर समाहर्त्ता के पास उस्थापित है। शेष मौजे का CD प्राप्त नहीं हुआ है।

Land Records के कम्प्यूटरीकरण MIS पर Entry व Website पर प्रकाशन के प्रगति की समीक्षा की गयी। DIO NIC द्वारा बताया गया कि सभी अंचल से डाटा प्राप्त हो गया है तथा

Script नहीं मिला है। उन्हें निदेशित किया गया कि विभाग से बात कर उसकी प्रगति से अपर समाहर्ता एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया/DIO NIC)

5. लंबित सीलिंग मामलों की सूची :–

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि 207 सीलिंग के मामलें हैं जिसे सूचीबद्ध करने हेतु राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है एवं उन्हें 15 दिनों के अन्दर सीलिंग के सम्पूर्ण मामले को सूचीबद्ध करने हेतु निदेशित किया गया है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि लंबित सिलिंग मामलों की सूची अविलम्ब तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि पुर्नवास के मामलें का भी निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

6. व्यवहार न्यायालय, गोगरी हेतु स्थल चयन :–

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया द्वारा व्यवहार न्यायालय, गोगरी के कार्यालय भवन हेतु जो प्रस्ताव विधि विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना को भेजा गया है उसी भूमि का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजने हेतु संचिका अविलम्ब उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

7. गोगरी अनुमंडल संयुक्त कार्यालय भवन हेतु भू–अर्जन (GAD) :–

विगत बैठक में समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को निदेश दिया गया था कि वे उपर्युक्त भवन हेतु कौन–सी जमीन लेने से सरकार को कम लागत आयेगी उसे दृष्टिगत करते हुए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 का MVR को भी देखेंगे, परन्तु इसका निस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि इसका अनुश्रवण कर निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

8. राजेन्द्र सरोवर का मामला:–

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र सरोवर से संबंधित संचिका अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के समक्ष उपस्थापित की गयी है। निदेश दिया गया कि अपर समाहर्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया संचिका के साथ विर्मश कर निष्पादित करायें।

(अनुपालन–अपर समाहर्ता/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

9. जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना जल निकाय संरक्षण:–

अपर समाहर्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अंचलाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अपर समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

10. जमीन दखल दिहानी :–

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा ने गत बैठक में बताया था कि दखल दिहानी के ज्यादातर मामले न्यायालय में लंबित है। उन्हें निदेश दिया गया कि दखल–दिहानी मामले की सूची प्रस्तुत करें।

(अनुपालन :–प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा)

11. NPS पर डाटाबेस अपग्रेडेशन (राजस्व) :–

अपर समाहर्त्ता को Database Upgradation के कार्यों में तेजी लाने तथा अनुपालन हेतु समय सारिणी बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता)

12. गैर मजरूआ आम–खास भूमि की पंजी व विवरणी Score-3 :–

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि अंचलों के कुछ मौजे की पंजी प्राप्त हुई है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि वे अंचलाधिकारियों से भूमि की पंजी प्राप्त करें तथा जिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि की पंजी नहीं दी जाती है उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दें। गैर मजरूआ आम–खास भूमि की पंजी व विवरणी Score-3 का संधारण सुनिश्चित करें। अपर समाहर्त्ता इसका अनुश्रवण करेंगे।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

13. AC/DC Bill GAD, Home Minority Welfare :-

समीक्षा में पाया गया कि GAD एवं Minority Welfare से संबंधित AC/DC Bill लंबित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित DC विपत्र भेज दिया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि GAD एवं H0ME से संबंधित कुछ DC विपत्र निर्वाचन से संबंधित था एवं उसका DC विपत्र तैयार कर भेजा गया है तथा एक DC विपत्र लंबित है। उन्हें लंबित DC विपत्र को भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किस विभाग का DC विपत्र है इस संबंध में प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-- कोषागार पदाधिकरी/उप निर्वाचन पदाधिकारी)

14. खगड़िया–कुशेश्वर स्थान रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करना (3.5 KM समस्या ग्रस्त) :–

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

15. पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता :–

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि जिस पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता है उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, परियोजना)

16. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता :–

विगत बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया था कि चौथम में 03 (तीन), मानसी (चुकती में) में 01 (एक), खगड़िया (प्राथमिक विद्यालय परड़जा) में 01 (एक) एवं गोगरी में 07 (सात) विद्यालय के लिए जमीन की आवश्यकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया जाता है कि वे अद्यतन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान)

17. GP, DP, IPPE-2 की डाटा इन्ट्री :–

उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया कि डाटा इन्ट्री कार्य हो रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि GP DP, IPPE-2 की डाटा इन्ट्री में तेजी लायें।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त)

18. जीविका क्रेडिट लिंकेज व Disbursement rate :–

जीविका क्रेडिट लिंकेज के संदर्भ में DPM जीविका विद्यालय निरीक्षण संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– DPM जीविका)

19. पेंशनधारियों का खाता व आधार सीडिंग :–

बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि लगभग 75 प्रतिशत् पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि 71, 542 का खाता संख्या आधार सीडिंग हो चुका है। उनका खाता संख्या E लाभार्थी पर फ्रीज किया जाना है ताकि उनको भुगतान की कार्रवाई की जा सके। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया स्वयं इसकी समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

20. पेंशन वितरण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि नगर पंचायत एवं नगर परिषद् से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है तथा प्रखंडों से 49,95,41,399 रू0 एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से 3,31,50,000 रू0 कुल 531691399 रू0 उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित है। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को गत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रखंडवार विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

21. डीजल अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान के रूप में 88,83,000 रू0 वितरण हो चुका है। दो प्रखंड में वितरण बाकी है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि जितने भी आवेदन सही पाया जाता है, उसका एक सप्ताह के अन्दर डीजल अनुदान का वितरण कार्य पूर्ण करें।

(अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी)

22. फसल क्षति का सर्वे:–

फसल क्षति के सर्वे के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि फसल क्षति का सर्वे पूर्ण हो गया है। सूची इस कार्यवाही के साथ संलग्न है।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया)

23. AC/DC बिल व UC की विशेष बैठक :–

संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि लंबित AC/DC बिल व UC को शीघ्र भेजना सुनश्चित करें।

(अनुपालन–कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यालय प्रधान)

24. स्टेशन रोड एवं अन्य स्थलों से अतिक्रमण हटाना :—

गत बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी है, परन्तु पुनः लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को निदेशित किया गया था कि शहर के अन्दर स्टेशन रोड के आसपास सभी भेंडरो को सर्वे के माध्यम से चिन्हित कर नियमानुसार परिचय पत्र निर्गत किया जाय जिसमें व्यापार परिसर का भी उल्लेख रहे, ताकि स्टेशन रोड एवं आसपास के अतिक्रमण को हटाया जा सके। लेकिन अभी तक परिचय–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को शहर के फुटपाथ बिक्रेताओं को परिचय–पत्र निर्गत करने एवं पुटपाथ पर बेचने वालों के लिए स्थल चयन करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा दिनांक 15.10.2016 तक फुटपाथ बिक्रेताओं को परिचय–पत्र निर्गत करने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदा0, खगड़िया / कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्, खगड़िया)

25. समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का मामला :—

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि समुह 'घ' के सभी एम0जे0सी0 में कारण पृच्छा समर्पित किया जा चुका है। शेष दो CWJC के मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। स्थापना उप समाहर्त्ता एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे इन दोनों मामलो को भी एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि पी0पी0 के विरूद्ध प्राप्त आवेदन की भी जॉच एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–स्थापना उप समाहर्त्ता / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

26. निर्वाचन NERP–2016 की समीक्षा :—

समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला के सभी चारों निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। मतदान केन्द्रों के सीमांकन एवं मतदान केन्द्रों का Mobile Application के द्वारा विवरणी कार्य असंतोषजनक है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त कार्यो का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

27. शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) हेतु भू–अर्जन की समीक्षा–

शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) के लिए भू–अर्जन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

28. विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग :—

उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग की समीक्षा करें एवं केन्द्रवार 07 अक्टूबर तक का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त)

समीक्षा के क्रम में सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन्हें आधार कार्ड नहीं है वे अपना आधार कार्ड बनवा लें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जो पदाधिकारी छः माह से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं वे नियमानुसार अपना निर्वाचन पहचान पत्र बनवा लें।

(अनुपालन–जिला के सभी पदाधिकारी)

29. 7 थाना भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना :–

प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपलब्ध करायेंगे। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि मोरकाही थाना भवन के संबंध में बैठक आहुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

30. विभागीय कार्यवाही के लंबित मामले :–

स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा लंबित विभागीय कार्यवाही की सूची **(सूची संलग्न)** पढ़कर सुनायी गयी। स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया कि एक विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे मामले का शीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित करें। स्थापना उप समाहर्त्ता इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– स्थापना उप समाहर्त्ता/सभी संबंधित पदाधिकारी)

31. 7 (सात) निश्चय की प्रगति की समीक्षा :–

7 (सात) निश्चय के तहत इंजिनियरिंग कॉलेज, पोलटेकनिक कॉलेज एवं आई0 टी0 आई हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा अन्य निश्चय से संबंधित लंवित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त)

32. विधान मंडल के लंबित उत्तर :–

अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि विधान मंडल के जिला स्तर पर जो भी मामले लंबित हैं उसकी समीक्षा कर प्रश्नोत्तर सामग्री अविलम्ब भेजवाना सुनिश्चित करें। कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान पर्षद से संबंधित प्राप्त मामलों का एक पंजी बना लें तथा पंजी में अलग–अलग पृष्ट आवंटित कर दें एवं उस पंजी में इंदराज कर संबंधित शाखा/विभाग में भेजवाना सुनिश्चित करें और इसका पर्यवेक्षण करें तथा संबंधित शाखा/ विभाग द्वारा प्रश्नोत्तर भेज दिये जाने पर पंजी में इंदराज कर दें।

(अनुपालनः– अपर समाहर्त्ता/कार्यालय अधीक्षक)

33. पशुगणनाः–

पृच्छा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि पशुगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पशुगणना कार्य में प्रगति लायें एवं प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(अनुपालन–जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया)

34. पशुचारा वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि चारा वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपदा प्रबन्धन शाखा, खगड़िया को भेजवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया)

35. स्वास्थ्य विभाग के परिसरों को अतिकमण मुक्त कराना:–

गत बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य केन्द्र के अतिक्रमण से संबंधित विहित प्रतिवेदन तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं खगड़िया को उपलब्ध कराने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारियों को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

36. महादलित सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण 22/57:–

जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 57 सामुदायिक भवन में से 22 का निर्माण हो गया है तथा शेष 35 का निर्माण कार्य लंबित है। जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि लंबित योजना को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया)

37.DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल निर्माण:–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल का निर्माण का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि आश्रय स्थल का निर्माण हेतु बलुआही बस स्टैण्ड के निकट स्थल का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,खगड़िया)

38. लोक सूचना, लोकायुक्त, मानवाधिकार के मामले:–

प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त द्वारा लंबित परिवाद पत्र की स्थिति निम्नवत बताई गयी :–

क्र0 सं0	जहाँ परिवाद पत्र जाँच हेतु लंबित है।	लंबित मानवाधिकार परिवाद पत्रों की संख्या	लंबित लोकायुक्त परिवाद पत्रों की संख्या
1	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी	08	01
2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी	02	01
3	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी	01	01
4	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया	03	–
5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया	03	–
6	उप विकास आयुक्त, खगड़िया	02	02
7	जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया	02	01
8	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया	02	–
9	अपर समाहर्त्ता, खगड़िया	02	–
10	निदेशक, डी0आर0डी0ए0	01	–
11	कार्यपालक अभियंता, विद्युत	01	–
12	नया परिवाद पत्र पदाधिकारी नामित करने हेतु	05	–
	कुल	32	06

प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकारी एवं लोकायुक्त कोषांग द्वारा बताया गया कि मानवाधिकार के 36 मामलों में से 4 मामलों का प्रतिवेदन भेजा जा चुका है तथा लोकायुक्त के लंबित 08 मामलों में 02 का प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग को निदेश दिया गया कि लोक सूचना से संबंधित मामलों का भी शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी लोकायुक्त एवं मानवाधिकार कोषाग, खगड़िया)

39. पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का UC

उप विकास आयुक्त एवं पंचायती राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

40. पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वित करना:–

समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कलस्टर के अंतर्गत 22 पंचायत सरकार भवन बनाया जाना था जिसके विरूद्ध 10 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है एवं 05 पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि जो पंचायत सरकार भवन बनाये गये हैं उसमें अभी भी त्रुटियाँ हैं। गत बैठक में उपस्थित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया के सहायक अभियंता को निदेश दिया गया था कि वे निर्मित पंचायत सरकार भवन की जांच करें एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया लंबित पंचायत सरकार भवन को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। कार्यपालक अभियन्ता ,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन ,खगड़िया अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया)

41. जन शिकायत के मामले :–

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग द्वारा बताया गया कि अभी भी जन शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि पूर्व से लंबित जन शिकायत के मामले को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत)

42. कल्याण विभाग :–

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण – अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय निदेश के आलोक में अनुमंडल स्तरीय समिति का गठन कर नियमित बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेशित किया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार से संबंधित लाभार्थी को तीन दिनों के अन्दर उनके खाता में राशि भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया)

अनुबंध अधारित शिक्षकों का नियोजन – जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि अनुबंध आधारित शिक्षकों के नियोजन हेतु बैठक बुलाना सुनिश्चित करें।

आवासीय विद्यालय हेतु समिति का गठन – जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि आवासीय विद्यालय हेतु समिति का गठन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया)

43. अल्पसंख्यक कल्याण :–

कोशी कॉलेज स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास –जिला परिवहन पदाधिकारी पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि कोशी कॉलेज स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास को Functional करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि छात्रावास समिति की बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला परिवहन पदा0 / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0)

44. समाज कल्याण विभाग :–

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र – समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS ने बताया गया कि मानसी प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। जिसके कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को नहीं भेजा जा सकता है। उन्हें निदेश दिया गया कि इन प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

सेविका / सहायिका का नियोजन – जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS को निदेश दिया गया कि रिक्त पदों के विरूद्ध नियोजन की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS)

रिमांड होम – सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया को निदेश दिया गया कि रिमांड होम निर्माण हेतु अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

45. ओलापुर गंगोर के वार्ड संख्या–11 एवं 12 के लाभार्थियों को नदी के इस पार के नजदीकी जन वितरण के दूकान से टैग करना:–

अधोहस्ताक्षरी से मिलकर ओलापुर गंगौर के वार्ड नं0–11 एवं 12 के जन वितरण प्रणाली के लाभूकों द्वारा बताया गया कि नदी के पार जाकर खाद्यान्न एवं किरासन तेल लाने जाना पड़ता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। लाभूकों द्वारा नदी के इस पार के जनवितरण प्रणाली के नजदीकी दूकान से टैग करने का अनुरोध किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि ओलापुर गंगौर के वार्ड न0–11 एवं 12 के लाभार्थियों को नदी के इस पार के नजदीकी जन वितरण प्रणाली के दूकान से टैग किया जाय।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 1829 / गो0, दिनांक 13-10-16

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: IT मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस कार्यवाही को जिले के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी
खगड़िया 13/10/16